

13/12/23 पत्रावली पेशा वकील अर्थात् उपन
वकील अर्थात् सं. 1 से 3 उपन
प्रा. पत्र. 07 R11 CPC संपठित धारा
151 CPC पर दोनो अधिकतमगणों की
वहस्य सुनी गई। वास्तु आदेश हेतु
पत्रावली दिनांक 15/12/23 को पेश की

15/12/23 पत्रावली पेशा। चूंकि पत्रावली संबंधित
मूल वाद खारिज किया जा चुका है,
अतः प्रा. पत्र चलने योग्य नहीं है। पत्रावली
संबंधी 07 R11 प्रा. पत्र का विस्तृत
आदेश मूल वाद आदेशिका पर लिखित है।
पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल-
दफ़तर है।

Prinjal
मजिस्ट्रेट
जावपुर

